फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)

जुगराज सिंह पिता जीवण सिंह नि. बिलेठा

बनाम

केसर पिता हरदेव मीणा नि. माल की झुपडिया वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 43 /2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
02.03.22	प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम बिलेठा प. ह. बिलेठा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 921 रकबा 0.3157 है, आ.न. 922 रकबा 0.0243 है., आ.न. 923 रकबा 0.5666 है. स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी अप्रार्थीगण है। प्रार्थी की कब्जा काश्त कृषि भूमि के पडौस में स्थित अप्रार्थीगणों की आराजियों मे मेर पर स्थाई सीमा बिन्दु नही हैं इसलिए हकाई, जुताई मेर कटाई एवं अन्य कृषि कार्यो के समय सीमाओं के संबध में विवाद उत्पन्न होता हैं प्रार्थी अपने परिवार के स्वाामित्व की संयुक्त कृषि आराजियात पर डोल लगाकर तथा कृषि भूमि को और अधिक उपजाउ बनाने की दृष्टि से उन्नत करना चाहता है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलगन नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम बिलेठा प. ह. बिलेठा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 921 रकबा 0.3157 है, आ.न. 922 रकबा 0.0243 है., आ.न. 923 रकबा 0.5666 हैक्टेयर की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500– रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 02.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा)	

Scanned with CamScanner